न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 07/2020

उनवान

लाला पुत्र हरचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम लवेरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नाथी पुत्री गापी,
2. गिरधारी पुत्र फूला,
3. बींजा पुत्र नानू,
4. मेवा पुत्र फूली
5. रामदेव पुत्र श्रवण,
6. श्योजी पुत्र बींजा,
7. श्रवण पुत्र नानू,
8. सरदारा पुत्र फूला,
9. स्याणी पत्नी बीरम,
10. उदा पुत्र हजारी,
11. कमला पुत्री रतनलाल,
12. जगदीश,
13. जसराज पि. पांचू,
14. दयाल,
15. नरेन्द्र पि0 धूकल,
16. नौसर पत्नी रतनलाल,
17. पूसा पुत्र घासी,
18. मतिया पत्नी पांचू,
19. मदनलाल पुत्र पांचू,
20. महेन्द्र पुत्र रतनलाल,
21. रूकमा पुत्री धूकल,
22. रेखा पुत्री रतनलाल,
23. रघुनाथ पुत्र हजारी,
24. वीर बहादुर पुत्र रतनलाल,
25. सुवा पुत्री रतनलाल,
26. हुक्मा पुत्र धूकल
27. हजारी पुत्र भागीरथ,
28. हरदेव पुत्र हजारी जाति गुर्जर नि0 लवेरा नसीराबाद
29. मैनेजर बैक आफॅ बडौदा बीर, अजमेर (तिक)
30. मैनेजर आईसीआईसीआई बान्दनवाड़ा अजमेर (तिक)
31. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 28 अनुपस्थित 31 जरियें राज0 पैरोकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :- 21.8.23

-: निर्णय :-

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 लवेरा के खाता संख्या 554/522 किता 3 रकबा 0.09, 242/232 किता 13 रकबा 3.10, 543/512 किता 2 रकबा 0.08, 555/523 किता 2 रकबा 0.12, 556/524 किता 6 रकबा 0.73खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 2094/2808 रकबा 0.01 की आराजी वादी के पिता हरचन्द पुत्र लक्ष्मण की खातेदारी है। हरचन्द पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 21.08.2007 को हो गयी है। वादी हरचद का दत्तक पुत्र है। वादी ने अपने दत्तक पिता की उनके जीवनकाल में सेवा सुरक्षा की थी। तथा हरचन्द ने अपने जीवनकाल में वादी को सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया था। आराजी मुतनाजा में वादी के दत्तक पिता व प्रतिवादी संख्या 1 से 28 सह खातेदार दर्ज चले आ रहे है। किन्तु राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज पही होने के कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा पर हरचन्द पुत्र लक्ष्मण के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान भूमि रहन मुक्त होने के कारण वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 व 30 का नाम तर्क करवाया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश कर जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, अन्य दस्तावेज पेश किये। तथा वादी के बयान करवाये।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में हरचन्द पुत्र लक्ष्मण व अन्य व्यक्तियां की सह खातेदारी में दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार हरचन्द पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु दिनांक 21.08.2007 को हो गयी थी। हरचन्द पुत्र लक्ष्मण ने अपने जीवनकाल में वादी को दत्तक लिया था इस बाबत वादी के प्राकृतिक माता-पिता व हरचन्द पुत्र लक्ष्मण द्वारा गोननामा 100/ रूपये के स्टाम्प पर तैयसर करवाया गया। वादी द्वारा बडवा का पत्र पेश किया है जिसके अनुसार गिरधारी के पुत्र लाला को हरचन्द द्वारा गोद लिया गया है। ग्राम पंचायत लवेरा द्वारा जारी प्रमाा पत्र दिनांक 26.07.23 में भी वादी को हरचन्द का दत्त्क पुत्र बताया गया है। पत्रावली में वाद के तथ्यों का काई खण्डन नही है। प्रतिवादीगण प्रकरण में उपसिथत नही हुये है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है।

अतः वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम व प0म0 लवेरा के खाता संख्या 554/522 किता 3 रकबा 0.09, 242/232 किता 13 रकबा 3.10, 543/512 किता 2 रकबा 0.08, 555/523 किता 2 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1017 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.02 व खसरा नम्बर 2094/2808 रकबा 0.01 की की आराजी पर वादी को हरचन्द पुत्र लक्ष्मण के स्थान पर दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

लाला अनाम नाथी

दावा बावत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 7/2020
पेश करने की दिनांक – 06.01.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम व प0म0 लवेरा के खाता संख्या 554/522 किता 3 रकबा 0.09, 242/232 किता 13 रकबा 3.10, 543/512 किता 2 रकबा 0.08, 555/523 किता 2 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1017 रकबा 0.02 व खसरा नम्बर 2094/2808 रकबा 0.01 की की आराजी पर वादी को हरचन्द पुत्र लक्ष्मण के स्थान पर दत्तक पुत्र की हैसियत से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 21 माह 08 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद